हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/2/18	वकील वादी उपस्थित [illegible] 11/12/17 [illegible] बहस अंतरिम दिनांक 12/3/18 [illegible] पेश हो। [signature] [illegible] [illegible] (अलवर)	
12/3/18	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रा० प० अ० [illegible] 17 CPC पेश किया जो स्वीकार किया जाता है। वास्ते संशोधित वाद पत्र पत्रावली दिनांक 5/4/18 को पेश हो। [signature] S.Dcr	
5/4/18	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की ओर से संशोधित वादपत्र पेश किया। पत्रावली दिनांक 14.5.18 को वास्ते बहस पेश हो। [signature] S.Dcr	
14/5/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible] किया गया। [illegible] वादी [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संबंधित से अग्रेषित हो। सुनाया [signature] S.Dcr	1133/comp. NS 3/5/18

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 117 / 2004

वउनवान

1. किशनलाल पुत्र रामलाल जाति हरियाणा ब्राहमण (मृतक)

1/1. कैलाश पुत्र किशनलाल

1/2. गंगाप्रसाद पुत्र किशनलाल

1/3. राजेन्द्र पुत्र किशनलालजाति हरि.ब्राहमण निवासीयान

कुट्टीनमंषादास तहसील कठूमर

----- वादीगण

बनाम

1. श्री किशन पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
2. गिर्राज पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
3. बालासहाय पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
4. रमेश पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
5. दिनेश पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
6. राधेश्याम पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
7. गजेन्द्र पुत्र छंगा जाति हरि. ब्राहमण
8. प्रभूदयाल पुत्र तेजा जाति हरि.ब्राहमण
9. रामप्रसाद पुत्र तेजा जाति हरि.ब्राहमण
10. हीरालाल पुत्र तेजा जाति हरि.ब्राहमण
11. सुरेश पुत्र तेजा जाति हरि.ब्राहमण
12. दुर्गाप्रसाद पुत्र भूरा जाति हरि.ब्राहमण

निवासीयान ग्राम कुट्टीनमंषादासतहसील कठूमर

---- प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

श्री सुभाषचन्द शर्मा : अधिवक्ता वादीगण

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 14.05.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 289 रकवा 6 वीघा 4 विस्वा 291 रकवा 4 वीघा 3 विस्वा ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है तथा इसी आराजी से लगता हुआ खसरा नम्बर 284 वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर है उक्त आराजी में वादी का 2/3 हिस्सा तथा 1/3 हिस्सा मंगला का है। उक्त आराजी से लगता हुआ खसरा नम्बर 284 है तथा उक्त आराजी के सहारे आम रास्ता है जिसमें होकर सडक कुट्टीन से सालवाडी जाने वाली निकाली गई है तथा खसरा नम्बर 284 में होकर सडक का निर्माण हुआ है। खसरा नम्बर 284 खसरा नम्बर 284, 291 में मिला रखा है। जो खसरा नम्बर 284 का 1/4 हिस्सा है तथा 1/4 हिस्से में छंगा के वारिसान एंव तेजा के वारिसान काविज है तथा 1/4 हिस्से पर दौला व बुद्दा के वारिसान काविज है तथा 1/2 हिस्से पर वादीगण काविज है तथा उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। खसरा नम्बर 284 में वादी ने चारा रखने का घुप्पा बना रखा है लकडी ईंधन फांसे डाल रहे है बजरी रखी हुई है खसरा नम्बर 291 में मंगल का मकान बना हुआ है पानी की प्याउ व टंकी बनी है वादी खसरा नम्बर 289 एंव 291 तथा खसरा नम्बर 284 नम्बर की सडक से बची जमीन पर काविज रहकर अपनी सुविधानुसार उपयोग एंव उपभोग कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 12 ने खसरा नम्बर 284 कीद रकवा 5 विस्वा भूमि की वावत वादी के नाम ईकरारनामा लिख रखा है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोंकार नहीं है। प्रतिवादीगण लट्ठ के जोर से उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहते है। अतः वादी ने खसरा नम्बर 284 के 1/4 हिस्सा जो खसरा नम्बर 289–291 वाके ग्राम सालवाडी में मिला हुआ है का वादीगण को खातेदारी घोषित कराने व प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कराने व वादी का नाम 1/4 हिस्से पर दर्ज करने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेष कर कथन किया कि उपरोक्त आराजी में होकर कोई सडक का निर्माण नहीं हुआ है खसरा नम्बर 284 अलग हैं तथा प्रतिवादी की खातेदारी में है। वादीगण का खसरा नम्बर 284 से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है चारा भरने का घुप्पा प्रतिवादी सं0 1 का है प्रतिवादी सं01 का ही कबजा है प्रतिवादी संख्या 12 पे कोई हिस्सा वेचान नहीं किया है और ईकरारनामा से वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। दावा वादीगण खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर अदालत होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है जो शामिल पत्रावली है।

Scanned by CamScanner

वादीगण ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 प्रदर्श 1 खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 प्रदर्श 2 ईकरारनामा दिनांक 29.09.1997 प्रदर्श 3 की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू 1 कैलाशचन्द व गवाह श्रीयाराम पी डब्ल्यू 2 धर्मसिंह पी डब्ल्यू 3 रामेश्वरदयाल पी डब्ल्यू 4 के वयान लेखवद्व कराये है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 284 ग्राम सालवाडी वादीगण व प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर खसरा गिरदावरी संवत् 2031 में खसरा नम्बर 284 पर वादी की काश्त दर्ज है। प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद ने वादीगण के हक में ईकरारनामा लिख रखा है। 289 किशनलालकी खातेदारी का है। ख0न0 284 का 5 विस्वा किशनलालको दे रखा है। ईकरारनामा पर साझीदारान की सहमति के हस्ताक्षर है। प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण के हक में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। वादीगण का वाद सावित है। अतः वादीगण को विवादित आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार काष्तकार घोशित किया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाह वादीगण राजीनामा आदि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी 2060 से 2063 में आराजी खसरा नम्बर 291, 292, 293, 294, 300, 301, 316, 289 में मृतक किशनलालका 2/3 हिस्सा अन्य साझीदारान के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्ष 2 ख0गि0 मं खसरा नम्बर 284 भूरा वगैरा की काष्त दर्ज है प्रदर्ष 3 ईकरारनामा है जिसमें दुर्गाप्रसाद द्वारा खसरा नम्बर 284 रकवा 1 वीघा 7 विस्वा वाके ग्राम सालवाडी में से 5 विस्वा किशनलालको घरू वंटवारे में मिलने व कब्जा होना अंकित किया है। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 284 प्रतिवादीगण की खातेदारी में हिस्सा मुताविक दर्ज है जिसमें वादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। वादीगण ने खसरा नम्बर 284 के 1/4 हिस्सा की घोषणा कराने का वाद पेश किया है लेकिन वादीगण ने दावा के समर्थन में केवल एक घरू वंटवारा प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद की ओर से लिखवाया हुआ पेश किया है प्रतिवादी सं0 1 श्रीकिशनने राजीनामा पेश किया है जो वावादीगण के 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण व मांगी वेवा रामचन्द की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी वादीगण की वुजुर्गान खातेदारी की हो या विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा हो इस तरह का वादीगण ने कोई राजस्व रेकार्ड पेश नही किया है। जहां तक राजीनामा पेश करने का प्रश्न है राजीनामा पत्रावली में संलग्न है लेकिन राजीनामा अदालत द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है। केवल वादी एंव प्रतिवादीगण के द्वारा

Scanned by CamScanner

राजीनामा पेश करने व गवाहान के बयानों के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। वादीगण ने अपने दावा को साबित करने के लिये कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है इस वजह से विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा बावत वादीगण खातेदारी अधिकार घोशित कराने के अधिकारी नहीं है। वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी बावत आराजी खसरा नम्बर 289, 291, 284 369 वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर बावत साबित ना होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 14.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/117/2004

वउनवान

1. किशनलाल पुत्र रामलाल जाति हरियाणा ब्राहमण (मृतक)

1/1. कैलाश पुत्र किशनलाल

1/2. गंगाप्रसाद पुत्र किशनलाल

1/3. राजेन्द्र पुत्र किशनलालजाति हरि.ब्राहमण निवासीयान कुट्टीनमंषादास तहसील कठूमर

—— वादीगण

बनाम

1. श्री किशन पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
2. गिर्राज पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
3. बालासहाय पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
4. रमेश पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
5. दिनेश पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
6. राधेश्याम पुत्र छंगा जाति हरि.ब्राहमण
7. गजेन्द्र पुत्र छंगा जाति हरि. ब्राहमण
8. प्रभूदयाल पुत्र तेजा जाति हरि.ब्राहमण
9. रामप्रसाद पुत्र तेजा जाति हरि.ब्राहमण
10. हीरालाल पुत्र तेजा जाति हरि.ब्राहमण
11. सुरेश पुत्र तेजा जाति हरि.ब्राहमण
12. दुर्गाप्रसाद पुत्र भूरा जाति हरि.ब्राहमण

निवासीयान ग्राम कुट्टीनमंषादासतहसील कठूमर

—— प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी वावत आराजी खसरा नम्बर 289, 291, 284 369 वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर वावत सावित ना होने से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 14.05.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner